

कायदा
बिम्बो
11/4/11

रवि खन्ना

7

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र04-र0वि0अधि0-02/2010-

/खाद्य,पटना,दिनांक -

आदेश

रबी विपणन मौसम 2011-12 के अन्तर्गत राज्य में गेहूँ अधिप्राप्ति कार्यक्रम दिनांक- 15.04.2011 से 31.07.2011 तक निर्धारित है। अधिप्राप्ति कार्यक्रम के सघन अनुश्रवण एवं किसानों के उपज के आलात बिक्री (Distress sale) को रोकने तथा तत्सम्बन्धी शिकायत के निवारण एवं विहित प्रपत्र में दैनिक प्रतिवेदन/सूचना प्रेषण एवं जिला स्तरीय नोडल पदाधिकारी से समन्वय के उद्देश्य से खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के अधीनस्थ एक राज्य स्तरीय नियन्त्रण कक्ष की स्थापना की जाती है। इस नियन्त्रण कक्ष के प्रभारी के रूप में श्री जयशंकर प्रसाद यादव, संयुक्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को प्राधिकृत किया जाता है।

2. नियन्त्रण कक्ष के कार्यों में सहयोग देने हेतु श्री अचल कपूर, पणन पदाधिकारी एवं श्री अमरनाथ, पणन पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना तत्पर रहकर निदेशानुसार कार्यों का सम्पादन करेंगे। श्री हरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, प्रशाखा पदाधिकारी-4 यह सुनिश्चित करेंगे कि नियन्त्रण कक्ष में प्राप्त सूचना एवं प्रतिवेदन का आवश्यकतानुसार संकलन/संधारण कराकर भारत सरकार को प्रतिवेदन नियत समय पर प्राप्त हो जाय। सम्बन्धित पदाधिकारी अधिप्राप्ति अभिकरणों से प्राप्त होनेवाले सूचना/दैनिक प्रतिवेदन का संकलन कर विहित प्रपत्र में गेहूँ अधिप्राप्ति का दैनिक प्रतिवेदन भारत सरकार को भेजने हेतु उप सचिव/प्रभारी नियन्त्रण कक्ष को उपस्थापित करेंगे।

3. नियन्त्रण कक्ष दिनांक- 15.04.2011 से 31.07.2011 तक प्रत्येक कार्य दिवस को पूर्वाह्न 9.30 बजे से 6.00 बजे अपराह्न तक कार्यरत रहेगा। नियन्त्रण कक्ष का दूरभाष संख्या 0612-2210902 एवं फैक्स दूरभाष संख्या 0612-2239760 है।

Jh 2/04/2011
(त्रिपुरारि शरण)
प्रधान सचिव।

8
11/4/2011

ज्ञापक- प्र04-र0वि0अधि0-02/2010- 2406 /खाद्य, पटना, दिनांक - 4.4.2011

प्रतिलिपि: श्री जयशंकर प्रसाद यादव, संयुक्त सचिव/श्री हरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, प्रशाखा पदाधिकारी/श्री अचल कपूर, पणन पदाधिकारी/श्री अमरनाथ, पणन पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

Jh 2/04/2011
प्रधान सचिव।

(9)

ज्ञापांक-प्र04-र0वि0अधि0-02/2010- 2406 /खाद्य, पटना, दिनांक - 4.4.2011
 प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, पटना/निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना/निबंधक, सहयोग समितियां, बिहार, पटना/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/महाप्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, पटना/प्रबन्ध निदेशक, विस्कोमान, पटना/शाखा प्रबन्धक, नेफेड, पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

Jh 2/04/2011
 प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक-प्र04- र0वि0अधि0-02/2010- 2406 /खाद्य, पटना, दिनांक - 4.4.2011
 प्रतिलिपि: मुख्य सचिव, बिहार, पटना / विकास आयुक्त, बिहार, पटना / संयुक्त सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित ।

Jh 2/04/2011
 प्रधान सचिव ।


ज्ञापांक-प्र04-र0वि0अधि0-02/2010- 2406 /खाद्य, पटना, दिनांक - 4.4.2011
 प्रतिलिपि: सूचना पट्ट, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना ।

Jh 2/04/2011
 प्रधान सचिव ।

जिला आपूर्ति प्रा. इपरा

ज्ञापांक: 588 दिनांक: 11-4-11

प्रतिलिपि: जंजीप प्रबन्धक, ग्राह सेवा निगम इपरा /
 जिला प्रबन्धक, ग्राह सेवा निगम इपरा / जिला सहकारिता
 पदाधिकारी, ग्राह, इपरा / प्रबन्धक, विक्रीप्रा. इपरा
 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
 प्रतिलिपि: जंजीप प्रबन्धक, ग्राह सेवा निगम इपरा को प्रेषित ।


जिला आपूर्ति प्रा. इपरा
 ग. लाल. इपरा
 11-4-2011